वर्ष 2013–14

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

कमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/B.A.97/13-14/ 55476 दिनांक 19.9.13

महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण योजना

परिपत्र

उद्देश्य–

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में कम्प्यूटर मनुष्य की महती आवश्यकता बन चुका है, इससे समय–समय पर समस्त आवश्यक कार्य सुगमता व शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जा रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी महिलाओं को दिलवाया जाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिचय–

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011–12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गो की महिलाओं यथा गृहणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पाठ्यकम–

योजना के अंतर्गत निम्न दो प्रकार के पाठ्यकमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

1. RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी)–

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 15000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

2. "Elementary Computer Education for Women (ECEW)" 'डिजिटल सहेली'–

- प्रशिक्षण 50 घंटे (1 माह) की अवधि का होगा।
- 10636 महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
- 16–40 वर्ष तक की आयु वर्ग की 5वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन की अंतिम तिथि–

- प्रशिक्षण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि – दिनांक 20 सितम्बर,13

आवेदन प्रकिया–

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। प्रशिक्षणार्थी अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड कर सकते है अथवा आपके क्षेत्र में RKCL द्वारा संचालित आई.टी.ज्ञान केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक अपने क्षेत्र के RKCL द्वारा संचालित आई.टी.ज्ञान केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) पर ऑनलाइन भरवाकर रसीद प्राप्त करें।

योजना की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in एवं IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

चयन प्रक्रिया–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा निदेशालय से जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन किया जावेगा –

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता

प्रभारी, जिला अग्रणी केंद्र, RKCL

निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में निम्न वरीयता से प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा–

1 महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य
2 किशोरी बालिका मंडल सदस्य
3 उक्त दोनों श्रेणियों में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जावेगी।

प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन IT ज्ञान केंद्रवार चयन होने पर प्रशिक्षणार्थी को सूचित करने एवं प्रशिक्षण हेतु अग्रिम कार्यवाही RKCL द्वारा की जाएगी।

प्रशिक्षण–

जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के द्वारा निर्धारित विभिन्न IT ज्ञान केंद्रों पर उनके द्वारा चाहे गये कोर्स के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। RSCIT कोर्स हेतु परीक्षा उपरांत वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा तथा डिजीटल सहेली कोर्स में राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

भुगतान–

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. को प्रशिक्षण की इच्छुक महिला के नामांकन के पश्चात प्रशिक्षणार्थी कोड जारी होने पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' प्रशिक्षण हेतु रू 2700 प्रति संभागी व 'डिजिटल सहेली' प्रशिक्षण हेतु रू 1100 प्रति संभागी की 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रक्रिया से शेष 50% राशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थी के परीक्षा में

उत्तीर्ण होने तथा प्रशिक्षणार्थियों को उर्तीण होने का प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पश्चात् किया जाएगा।

RKCL प्रशिक्षणार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण जिला स्तर से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाकर बिल के साथ प्रस्तुत करेगा।

संलग्न–आवेदन पत्र एवं सामान्य निर्देश

(डा. टीना कुमार)
निदेशक
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/B.A.97/13-14 55477-627 दिनांक 19.9.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर
6. जिला कलक्टर, समस्त
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
8. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर
9. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नोलेज कारपोरेशन लि. (RKCL), झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
11. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता
12. कार्यक्रम निदेशक, RRTC जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
13. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले
14. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता समस्त जिले
15. प्रोग्रमर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

अतिरिक्त निदेशक, WSHGI